POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 22.01.2025

1.थाना दनकौर पुलिस द्वारा 15,000 रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का सक्षिप्त विवरण-- दिनांक 09.08.2021 की रात्रि में अभियुक्त सोभित गुर्जर द्वारा अपने साथी सुमित शर्मा उर्फ भोला पहलवान, कोशिन्द्र गुर्जर, सुमित शर्मा उर्फ उर्फ हन्नी शर्मा हकला, कुलदीप उर्फ बल्का व सतीश उर्फ टीटी उर्फ सरदार के साथ योजना के तहत यमुना एक्सप्रेस-वे पर आगरा की तरफ जाते हुए एक सफेद रंग की क्रेटा कार को बलेनो कार से हथियारो के बल पर लूट की गयी थी। जिसमें सतीश उर्फ टीटी उर्फ सरदार व सोभित गुर्जर फार्चूनर कार से रैकी कर रहे थे। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना दनकौर पर मु0अ0सं0 373/21 धारा 392/120बी/482 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.01.2025 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा में वांछित अभियुक्त सुमित शर्मा उर्फ हन्नी शर्मा उर्फ हकला पुत्र ऋषिप्रकाश को थाना क्षेत्र के गलगोटिया तिराहे के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस उच्चाधिकारीगण द्वारा 15,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में अभियुक्त 1.कोशिन्द्र पुत्र समय सिंह निवासी गुर्जर डेरीन थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर 2.भोला उर्फ सुमित पंडित पुत्र सुन्दर निवासी डेरीन कामबक्सपुर, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर 3.सोभित पुत्र वीरसिंह निवासी सिरसा थाना हसनपुर, जिला अमरोहा 4.दर्वेश शर्मा पुत्र रघुवर दयाल निवासी ग्राम बिलन्दपुर, खेडी थाना गन्नौर, जिला सोनीपत (हरियाणा) 5.देवेन्द्र उर्फ लूरा पुत्र बलवान निवासी ग्राम पुखथला, थाना गन्नौर, जिला सोनीपत (हरियाणा) को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. सुमित शर्मा उर्फ हन्नी शर्मा उर्फ हकला पुत्र ऋषिप्रकाश निवासी मन्डौरी, थाना खरखौदा, जिला सोनीपत (हरियाणा)।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 373/2021 धारा 392/120बी/482 भा0द0वि0 थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0सं0 429/2022 धारा 174ए भा0द0वि0 थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

2.थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा गांजा की तस्करी करने वाली महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से कुल 10 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.01.2025 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से गांजा की तस्करी करने वाली महिला अभियुक्ता नूर फातिमा उर्फ साहिबा पत्नी इदरीस अहमद को महर्षि आश्रम रामलीला मैदान मंच के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्ता के कब्जे से कुल 10 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 42/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 637/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 536/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 624/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 260/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 10 किलो 200 ग्राम गाँजा।